

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/ STA-P3-270/2014

पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सूरज कुमार,
पिता-श्री शारदानन्द यादव,
पता-अजीजघाट, बिहारशरीफ, नालंदा,
जिला-नालंदा।

विषय :- वाहन संख्या-BR21C-7169 के पक्ष में अन्तर्देशीय मार्ग धमौल से पटना पर निर्गत परमिट संख्या-132/2014 को रद्द किये जाने संबंधी सूचना।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त वाहन के परमिटधारी श्री शारदानन्द यादव के मृत्यु उपरांत वाहन का कब्जा लेने वाले उत्तरवर्ती व्यक्ति द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(2) के प्रावधानों के तहत कार्यालय को सूचना नहीं दी गयी। साथ ही इस धारा के आलोक में उक्त परमिट का उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम से अन्तरण हेतु आवेदन भी नहीं दिया गया। बिना परमिट का अन्तरण कराये ही वाहन का परिचालन लम्बे समय तक किया जाता रहा है। इस प्रकार आपके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। साथ ही आपके द्वारा उक्त परमिट का नवीकरण भी कपटपूर्ण एवं छद्मपूर्ण तरीके से कराया गया है।

आपसे विभागीय पत्रांक-6860, दिनांक-16.09.2019 एवं पत्रांक-7850, दिनांक-23.10.2019 के द्वारा उक्त संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया, किन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं किया गया।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-86 में निहित प्रावधान के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत उक्त परमिट को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं नालंदा/मोटरयान निरीक्षक, पटना एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक- 27/11/2020

प्रतिलिपि:-कम्प्यूटर शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को ऑनलाईन प्रविष्टि करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/ STA-P3-270/2014

पटना, दिनांक-

निबंधित
प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री सूरज कुमार,
पिता-श्री शारदानन्द यादव,
पता-अजीजघाट, बिहारशरीफ, नालंदा,
जिला-नालंदा।

विषय :- वाहन संख्या-BR21C-7169 के पक्ष में अन्तर्देशीय मार्ग धमौल से पटना पर निर्गत परमिट संख्या-132/2014 को रद्द किये जाने संबंधी सूचना।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त वाहन के परमिटधारी श्री शारदानन्द यादव के मृत्यु उपरांत वाहन का कब्जा लेने वाले उत्तरवर्ती व्यक्ति द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(2) के प्रावधानों के तहत कार्यालय को सूचना नहीं दी गयी। साथ ही इस धारा के आलोक में उक्त परमिट का उत्तरवर्ती व्यक्ति के नाम से अन्तरण हेतु आवेदन भी नहीं दिया गया। बिना परमिट का अन्तरण कराये ही वाहन का परिचालन लम्बे समय तक किया जाता रहा है। इस प्रकार आपके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। साथ ही आपके द्वारा उक्त परमिट का नवीकरण भी कपटपूर्ण एवं छद्मपूर्ण तरीके से कराया गया है।

आपसे विभागीय पत्रांक-6860, दिनांक-16.09.2019 एवं पत्रांक-7850, दिनांक-23.10.2019 के द्वारा उक्त संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया, किन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण भी समर्पित नहीं किया गया।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-86 में निहित प्रावधान के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत उक्त परमिट को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

विश्वासभाजन,

ह0/-


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 27/11/2020

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि :- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना एवं नालंदा/मोटरयान निरीक्षक, पटना एवं नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।